(i) विदेशी तकनीकी/वैज्ञानिक/विशिष्ट पत्रिकाओं/जर्नलों/आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों को प्रकाशित करने; और
(ii) वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्ट पत्रिकाओं/जर्नलों/आवधिक पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय कम्पनियों में विदेशी निवेश के लिये दिशानिर्देश

प्रस्तावना

भारत सरकार ने :

(i) विदेशी तकनीकी/वैज्ञानिक/विशिष्ट पत्रिकाओं/जर्नलों/आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों को प्रकाशित करने; और

(ii) वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्ट पत्रिकाओं/जर्नलों/आवधिक पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय कम्पनियों में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

1. आवेदन <u>(आवेदन फार्म डाउनलोड करना)</u>

(i) प्रकाशन की विषय-वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए आवेदन निर्धारित फार्मेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) आवेदन शुल्क 5000 रू. (पांच हजार रू. केवल) भुगतान और लेखा अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।

2. आवेदन पर कार्यवाही करना

(i) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रस्तावित प्रकाशन वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा विशिष्ट पत्रिका/आवधिक पत्र-पत्रिका/जर्नल की श्रेणी के तहत आता है अथवा नहीं, विधिवत रूप से अंतर-मंत्रालयी परामर्श करने के बाद आवेदन पर कार्यवाही करेगा। इस कार्य में यथा-आवश्यक संबंधित मंत्रालयों/विशेषज्ञ निकायों के प्रतिनिधियों और भाषा विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। उपयुक्त ममलों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निम्नलिखित जारी करेगा :-

क) विदेशी जर्नल के प्रकाशन के लिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की शर्त के अधीन अनुमोदन; अथवा

ख) विदेशी निवेश के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जिसकी एक प्रति आरएनआई/एसआईए/आरबीआई और आवेदक को भेजी जाएगी।

(ii) यदि बाद में प्रकाशन (प्रकाशनों) की विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संबंधित (प्रकाशन) प्रकाशनों को प्रदान की गई श्रेणी के निर्धारण की समीक्षा कर सकता है।

(iii) क) ऐसे मामलों जिनमें एफडीआई और एफआईआई दोनों की परिकल्पना की गई है, के संबंध में आवेदक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद अनुमोदन के लिए एफआईपीबी/आरबीआई से सम्पर्क करे।

ख) ऐसे मामलों जिनमें केवल पोर्टफोलियो निवेश निहित है, आवेदक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद अन्य अनुमोदन यदि कोई हो, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करे।

ग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते समय औद्योगिक सहायता के संबंध में सचिवालय को अवगत कराएगा और कम्पनी द्वारा प्रक्षेपित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से शेष अनुमत्य विदेशी निवेश के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करेगा।

3. प्रकाशन का शीर्षक

मौजूदा प्रक्रियाविधि के अनुसार प्रेस रजिस्ट्रार शीर्षक के सत्यापन का कार्य जारी रखेंगे।

4. विदेशी निवेश

(i) कुल 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश लागू होंगे।

(ii) विदेशी निवेश से संबंधित सभी मामलों को निर्धारित अभिकरण अर्थात एफडीआई से संबंधित मामलों को सरकारी अनुमोदन के बाद एफआईपीबी तंत्र के माध्यम से तथा पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निपटाया जाएगा।